

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 167 /2021 दिनांक : 16.01.2021

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/1663/2020 दिनांक 07.09.2020 को निरस्त करते हुए श्री देवेन्द्र सिंह नागर (RJ1018), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर को दिनांक 31.07.2020 से 19.08.2020 तक 20 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री नागर की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 01, बीकानेर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

16.1.2021


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/06/2016/ 481

दिनांक : 16.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर को उनके पत्रांक 01 दिनांक 04.01.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नागर (RJ1018), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बीकानेर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम- 01, बीकानेर ।


सहायक रजिस्ट्रार